

## समाहर्ता न्यायालय, पूर्णिया

आदेश की सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी और तारीख
30.10.2020	<p><u>उत्पाद वाद संख्या-136/2020</u></p> <p><u>(सदर थाना काण्ड सं०-614/2019 से उत्पन्न)</u></p> <p style="text-align: center;">राज्य</p> <p style="text-align: center;">बनाम</p> <p>1. चन्दन कुमार, पिता-अजय सुमन, सा०-बलुआही कृष्णापुरी, थाना-टाउन, जिला-खगड़िया (जप्त INDICA CAR NO.-BR1AJ-4718 से गिरफ्तार अभियुक्त)</p> <p>2. रंजीत यादव, पिता-सुबुक लाल यादव, सा०-बलुआही कृष्णापुरी, थाना-टाउन, जिला-खगड़िया (जप्त INDICA CAR NO.-BR1AJ-4718 से गिरफ्तार अभियुक्त)</p> <p style="text-align: right;">..... विपक्षीगण</p> <p style="text-align: center;"><u>आदेश</u></p> <p>अभिलेख उपस्थापित। पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया के पत्रांक 514/हि०शा० दिनांक-06.02.2020 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव एवं संलग्न कागजातों में वर्णित है कि उक्त वाहन की जांच दिनांक 11.12.2019 को जिरामाईल गुलाबबाग प्रकाश पेट्रोलपम्प के पास की गई। जांच के क्रम में विपक्षी के जप्त वाहन से OFFICERS CHOICE WHISKY का 180 मि०ली० वाला 172 पीस अवैध विदेशी शराब पाया गया। तत्पश्चात् जप्ती सूची तैयार कर सदर थाना काण्ड सं०-614/2019 दिनांक 11.12.2019 दर्ज कराई गई। पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया द्वारा बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 के तहत जप्त वाहन को राजसात करने की अनुशंसा की गई है।</p> <p>इस वाद में विपक्षी को अपना पक्ष रखने हेतु ज्ञापांक 1084/विधि दिनांक 05.03.2020 द्वारा निबंधित डाक के माध्यम से नोटिस भेजा गया, परन्तु विपक्षी उपस्थित नहीं हुए।</p> <p>पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया से प्राप्त प्रस्ताव तथा अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त वाहन से अवैध शराब जप्त हुआ है। स्पष्ट है कि जप्त वाहन के द्वारा शराब का परिवहन किया गया है।</p> <p>संपूर्ण बिहार राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू होने के बावजूद</p>	

जप्त वाहन से शराब पाया जाना दण्डनीय अपराध है। ऐसी स्थिति में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 के तहत उक्त वाहन को राजसात किया जाना विधिसम्मत प्रतीत होता है।


अतः मैं राहुल कुमार, भा0प्र0से0, जिला दण्डाधिकारी -सह-समाहर्ता, पूर्णिया इस वाद अंतर्गत जप्त INDICA CAR NO.-BR1AJ-4718 को बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की कंडिका 58(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजसात का आदेश देता हूँ। अधीक्षक मद्यनिषेध, पूर्णिया को निदेश दिया जाता है कि उत्पाद अधिनियम एवं तत्संबंधी संगत प्रावधानों के अनुरूप अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित करें।


आदेश की प्रति अनुपालन हेतु अधीक्षक, मद्यनिषेध, पूर्णिया को भेजें तथा पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया को भी प्रेषित करें।

विपक्षी यदि पारित आदेश से असंतुष्ट हैं तो अपीलीय प्राधिकार उत्पाद आयुक्त, बिहार, पटना के न्यायालय में 90 (नब्बे) दिनों के अन्दर अपील दायर कर सकते हैं।

इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

  
समाहर्ता,  
पूर्णिया।

  
समाहर्ता,  
पूर्णिया।